

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 810
1 मार्च, 2016 को उत्तरार्थ

विषय : कृषि बीमा योजनाएं

810. श्री आर. धुवनारायणः

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेयः

डॉ. उदित राजः

श्री दलपत सिंह परस्तेः

श्री लखन लाल साहूः

क्या कृषि और कृषक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जैसी विभिन्न फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत शामिल किसानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार राज्यों/संघराज्य-क्षेत्रों में सभी प्रकार की फसलों के लिए अनिवार्यतः राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का कार्यान्वयन कर रही है और यदि हां, तो इसकी प्रीमियम राशि तथा बीमा की राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा फसल हानि की स्थिति में योजना के अंतर्गत 'निकाय निधि' की स्थापना के द्वारा सभी किसानों को समान क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत फसल हानि/क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि तथा लाभार्थी किसानों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने हाल में बेमौसम बारिश तथा सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है और यदि हां, तो बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति से कितने किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है तथा प्रति एकड़ भूमि के लिए क्षतिपूर्ति की संशोधित दर कितनी है; और

(च) क्या सरकार भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा किए जाने वाले मौसम पूर्वानुमान को किसानों के लाभार्थ सार्वजनिक करने पर भी विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कुंडारीया)

